

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3198/2019

(2017 की एस. एल.पी(सी) संख्या से उत्पन्न)

सीटीओ, चोरी रोधी, सर्किल III, राजस्थान, जयपुर ...अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स प्रसून एंटरप्राइजेज, जयपुर ...प्रतिवादी(ओं)

के साथ

सिविल अपील संख्या 3199–3200/2019

(2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4837–4838 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 3201–3202/2019

(2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 4839–4840 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 3203/ 2019

(2017 की एसएलपी (सी) संख्या 5981 से उत्पन्न)

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील एस. बी. बिक्री कर संशोधन याचिका संख्या संख्या 114/2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित 5 जनवरी, 2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका को खारिज कर दिया।

3 अपील में एक संक्षिप्त बिंदु अंतर्वलित है जो कि आगे बताए गए निर्विवाद तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. अपीलकर्ता राजस्थान राज्य (वाणिज्यिक कर विभाग) पुनरीक्षण याचिकाकर्ता है, जबकि इसमें प्रतिवादी उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका का प्रतिवादी है, जिससे यह अपील उत्पन्न होती है।

5. प्रतिवादी खनन मशीनरी के कलपुर्जों, स्टील वायर रस्सियों, मानक तारों, वायर रॉड आदि के व्यापार में संलग्न है। ये सामान मूल्य वर्धित कर के भुगतान के अधीन हैं, (वैट) राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 (बाद में "वैट अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत प्रतिवादी वैट अधिनियम के तहत एक पंजीकृत डीलर है।

6. वाणिज्यिक कर अधिकारी (एई) [बाद में "सीटीओ" के रूप में संदर्भित] ने 16 मार्च, 2009 को प्रतिवादी के व्यावसायिक परिसरों में एक सर्वेक्षण किया और उसमें

यह पाया गया कि प्रतिवादी मोबाइल क्रेन वायर रस्सियों पर 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल कर रहा था।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैट अधिनियम के तहत कर अधिकारियों के समक्ष यह सवाल उठा कि मोबाइल क्रेन वायर रस्सी पर कर लगाने के लिए वैट अधिनियम के तहत उचित प्रविष्टि क्या है।

8. उपरोक्त प्रश्न मूल्यांकन कार्यवाही में सीटीओ के समक्ष उठा, जो सीटीओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ उनके व्यावसायिक परिसरों में शुरू की गई थी और उपरोक्त प्रश्न पर उनका अग्रिम निर्णय मांगने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त के समक्ष भी उठाया गया था।

9. सीटीओ और उपायुक्त का विचार था कि अधिनियम के तहत अनुसूची 5 में अवशिष्ट प्रविष्टि में निर्धारित के रूप में प्रश्नगत वस्तुओं के लिए प्रभार्य कर की दर 12.5% है और वैट अधिनियम की अनुसूची 4 की प्रविष्टि 155 में निर्धारित के रूप में 4% नहीं है।

10. दूसरे शब्दों में, दोनों कर अधिकारियों का विचार था कि इन वस्तुओं पर कर के भुगतान के लिए उचित प्रविष्टि अनुसूची 5 की अवशिष्ट प्रविष्टि है, जो 12.5% के रूप में कर की दर निर्धारित करती है।

11. तदनुसार सीटीओ ने निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध निर्धारण कार्यवाही आरंभ की। दिनांक 16.03.2009 के मूल्यांकन आदेश द्वारा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी वैट अधिनियम की अनुसूची 5 की अवशिष्ट प्रविष्टि के तहत 12.5% की दर से वैट का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी था। चूंकि

प्रत्यर्थी ने अनुसूची 4 की प्रविष्टि 155 में आने वाली प्रश्रगत वस्तुओं को मानते हुए 4% की दर से कर जमा किया था, इसलिए प्रत्यर्थी को दंड और वैट अधिनियम के तहत देय ब्याज के साथ वैट की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

12. प्रतिवादी ने व्यथित महसूस किया और उपायुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 02.12.2010 के आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और सीटीओ (एई) के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि प्रश्रगत रस्सियों का मोबाइल क्रेन के भाग के रूप में मोबाइल क्रेन में अनिवार्य रूप से उपयोग किया गया था। यह माना गया कि एक मोबाइल क्रेन पूर्ण नहीं है और न ही यह रस्सी के उपयोग के बिना प्रभावी रूप से काम कर सकता है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह रस्सी एक मोबाइल क्रेन का एक हिस्सा है और अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 155 में निर्धारित दरों के अनुसार वैट से प्रभार्य है।

13. राज्य (सीटीओ) ने व्यथित महसूस किया और वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। आदेश दिनांक 06.01.2016 द्वारा, बोर्ड ने अपील को खारिज कर दिया और उपायुक्त के आदेश की पुष्टि की। राज्य (सीटीओ) ने व्यथित महसूस किया और जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ में संशोधन याचिका दायर की।

14. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज कर दिया और बोर्ड के आदेश को बरकरार रखा, जिसने इस न्यायालय में राज्य (सीटीओ) द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को दाखिल करने को प्रेरित किया है।

15 इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल यह उठता है कि क्या उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के (राज्य/सीटीओ) संशोधन को खारिज करने में उचित था और इस प्रकार बोर्ड द्वारा यह दृष्टिकोण बनाए रखने में उचित था कि मोबाइल क्रेन वायर रस्सियां वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 155 के तहत 4% की दर से कर योग्य हैं।

16. डॉ. मनीष सिंघवी, अपीलकर्ता के लिए विद्वान एएजी और सुश्री ज्योति मेंदीरत्ता, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

17. अपीलकर्ता (सीटीओ) के विद्वत वकील ने आक्षेपित आदेश की वैधता और शुद्धता पर हमला करते हुए उन्हीं प्रस्तुतियों को दोहराया, जिनसे उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया गया था।

18. सारांश में, उनका प्रतिवेदन था कि प्रश्नगत माल पर 12.5% की दर से कर लगाया जाता है, जो कि वैट अधिनियम की अनुसूची 5 की अवशिष्ट प्रविष्टि में निर्धारित दर है, क्योंकि विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ऐसी कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है जिसके अंतर्गत प्रश्नगत माल पर विनिर्दिष्ट दर से कर लगाया जा सके।

19. दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि प्रश्नगत माल वैट अधिनियम की अनुसूची IV और अनुसूची V में किसी भी प्रविष्टि में निर्दिष्ट नहीं है और न ही वे मोबाइल क्रेन के भाग हैं, एकमात्र प्रविष्टि जिसके तहत उन पर कर लगाया जा सकता है, वैट अधिनियम की अनुसूची V की अवशिष्ट प्रविष्टि है।

20. जवाब में, प्रतिवादी (डीलर) के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रतिवाद किया कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और लिखित प्रस्तुतियों सहित मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं.

22. जैसा कि ऊपर ध्यान देकर किया गया है, इस मामले में विचार करने के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या मोबाइल क्रेन वायर रस्सियां वैट अधिनियम के तहत 4% या 12.5% की दर से कर योग्य हैं।

23. दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह उठता है कि क्या मोबाइल क्रेन वायर रस्सियां अनुसूची 4 की प्रविष्टि 155 के अंतर्गत आती हैं या वैट अधिनियम की अनुसूची 5 की अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आती हैं।

24. सुसंगत समय पर, दो सुसंगत प्रविष्टियां थीं जो इस प्रकार थीं:

अनुसूची II

अनुसूची IV

[खंड 4 देखें]

4% पर कर योग्य सामान

सीएस नं.	वस्तुओं का विवरण	कर की दर – प्रतिशत	शर्तें, यदि कोई हों
1	2.	3	4.
155	हाइड्रोलिक उत्खनन (अर्थ मूविंग और माइनिंग मशीनरी), मोबाइल	4	

<p>क्रेन और हाइड्रोलिक डम्पर (इसके हिस्सों सहित)। अधिसूचना संख्या एफ. 12 (63) एफडी/टैक्स/2005-51 दिनांक 08.05.2006 द्वारा एस. ओ. संख्या 99 दिनांक 09.05.2006 द्वारा ब्रैकेटेड भाग जोड़ा गया था</p>		
--	--	--

अनुसूची V

[खंड 4 देखें]

12.5% पर कर योग्य सामान

पीएस नं	वस्तुओं का विवरण	कर की दर – प्रतिशत	शर्तें, यदि कोई हों
1	2	३	4
	12.5		वस्तुएं
अधिनियम के तहत या अधिनियम की खंड 4 के तहत जारी किसी अधिसूचना के तहत किसी अन्य अनुसूची में शामिल नहीं किया गया			

माल।			
------	--	--	--

25. उपर्युक्त प्रविष्टि 155 के केवल पठन से यह पता चलता है कि हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स (अर्थ मूविंग एंड माइनिंग मशीनरी), मोबाइल क्रेन और हाइड्रोलिक डम्पर्स (इसके हिस्सों सहित) नामक वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

26. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 09.05.2006 से प्रभावी एक संशोधन द्वारा प्रविष्टि 155 में " उसके भागों सहित " अभिव्यक्ति अंतःस्थापित की गई थी। इसलिए, यह इंगित करता है कि प्रविष्टि में निर्दिष्ट वस्तुओं के भागों पर 09.05.2006 से पहले 4 प्रतिशत की दर से कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन केवल 09.05.2006 को और उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता था।

27. इस न्यायालय ने यह परीक्षण अधिकथित किया है कि न्यायालय को इस प्रश्न का विनिश्चय कैसे करना चाहिए कि क्या कोई विशिष्ट मद अन्य मद का भाग है। परीक्षण यह है कि एक चीज दूसरी का हिस्सा है और दूसरी इसके बिना अधूरी है। दूसरे शब्दों में, 'एक चीज दूसरी का हिस्सा है, यदि दूसरी इसके बिना काम नहीं कर सकती है। ' [मैसर्स अन्नपूर्णा कार्बन इंडस्ट्रीज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1976) 2 एससीसी 273 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली बनाम इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड (2008) 12 एससीसी 45]]

28. जब हम मामले के तथ्यों पर इस सिद्धांत को लागू करते हैं तो हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि मोबाइल क्रेन में उपयोग की जाने वाली तार की रस्सियां मोबाइल क्रेन का एक हिस्सा हैं और इस प्रकार वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि 155 में आती हैं।

29. एक फोर्टियरी के रूप में यह 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कारणों का पता लगाना दूर की बात नहीं है।

30. प्रतिवादी ने दायर किया है (अनुलग्नक आर -1), यह दिखाने के लिए कि कैसे मोबाइल क्रेनों को डिजाइन, संरचित, निर्मित और इस क्षेत्र में संचालित किया जाता है जब यह उपभोक्ता द्वारा अपने अंतिम उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए विनिर्देश का विवरण भी दाखिल किया है, जिसमें प्रत्येक वायर रॉड/रस्सी की ताकत को निर्दिष्ट किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की क्रेनों के निर्माण में किया जाता है।

31. साहित्य का केवल अवलोकन यह दिखाने के लिए जाएगा कि मोबाइल क्रेन तार की रस्सियों के बिना पूरा नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, मोबाइल क्रेन का उपयोग आदेश और उन्हें परिचालन में लाने के लिए तार की रस्सियों का उपयोग आवश्यक है। यदि मोबाइल क्रेन में तार की रस्सियां नहीं लगाई जाती हैं, तो वे प्रभावी ढंग से काम नहीं करेंगी।

32. इस कारण से, हमारी यह राय है कि मोबाइल क्रेन तार रस्सी मोबाइल क्रेन का एक आवश्यक हिस्सा है और इसलिए, वैट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि

155 में आता है। इसलिए, यह प्रविष्टि 155 में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए निर्धारित दरों पर कर योग्य है।

33. तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मोबाइल क्रेन में इसके उपयोग के संदर्भ में केवल 'तार की रस्सियों' की कराधेयता के प्रश्न की जांच की है जैसा कि आक्षेपित आदेश के पैरा एक में उच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न से स्पष्ट होगा।

34. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील को किसी भी योग्यता से रहित पाया जाता है और इस प्रकार यह विफल होती है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

**क्रिमिनल अपील संख्या 4837-4838/2017, 4839-4840/2017 और
5981/2017**

1. अनुमति दी गई।
2. ये अपीलें एस. बी. बिक्री कर संशोधन याचिका संख्या 106, 101, 99, 100/2013 और 449/2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा पारित सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

सीए @ एस. एल. पी. (सी) सं. 11937/2017 में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, ये अपीलें भी खारिज की जाती हैं।

अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

नई दिल्ली

26 मार्च, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।